संख्या:22/2020/1573/12-2-2020-60(3)/2016 टी0सी01

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 07 अगस्त, 2020

विषय: फसलों की बाढ, सूखा, अतिवृष्टि, रोग, कीट आदि से क्षति की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित कृषकों को बीमा का लाभ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किए जाने विषयक शासनादेश संख्या: 17/2020/1344/12-2-2020-60(3)/2016 दिनांक 21 जुलाई, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया योजना के प्राविधानानुसार बाढ, सूखा, अतिवृष्टि, रोग, कीट आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की क्षति की स्थिति में बीमित किसानों को निम्न प्रक्रिया के अनुसार बीमा का लाभ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

1. प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों में ग्राम पंचायत में 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में बीमित फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई से प्रभावित ग्राम पंचायत, फसल व प्रभावित क्षेत्र की सूचना राजस्व अथवा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्मिकों द्वारा घटना के 03 कार्य दिवस के अन्दर जिलाधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय को दिया जायेगा। जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा प्रभावित ग्राम पंचायत/फसल व फसल के क्षेत्रफल के विवरण को आपदा के 07 कार्य दिवस के अन्दर विलम्बम खरीफ मौसम में 15 अगस्त एवं रबी मौसम में 15 जनवरी तक जनपद में कार्यरत बीमा कम्पनी को लिखित रूप में अवगत कराया जायेगा।

   बीमा कम्पनी द्वारा आपदा प्रभावित ग्राम पंचायत/फसल के बीमित किसानों को बीमित राशि के 25 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति का भुगतान सूचना प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा। तत्पश्चात संबंधित प्रभावित ग्राम पंचायत/फसल के बीमित किसानों का बीमा कवरेज समाप्त हो जायेगा।

2. <u>स्थानिक आपदा</u>:-

(1) ओला, भूस्खलन, जल भराव (फसल धान को छोडकर), बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से फसल की क्षति तथा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से फसल की क्षति की स्थिति में फसलों की क्षति का आंकलन व्यक्तिगत किसान के स्तर पर बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा। बीमित किसान को आपदा के 72 घन्टे के अन्दर स्वयं बीमा कम्पनी को सूचित करना होगा। इसके अतिरिक्त किसान संबंधित बैंक शाखा, जहॉ से बीमा कराया गया है अथवा जनपद के कृषि विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी/अन्य विभाग के जनपदीय अधिकारी/किसान समुदायों/ग्राम प्रधान/क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि के माध्यम से व्यक्तिगत दावे को आपदा के 48 घन्टे के अन्दर बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा फसलों की क्षति की सूचना प्राप्त होने के 10 कार्य दिवस के अन्दर अपने सर्वेयर के माध्यम से फसलों की क्षति का आंकलन आपदा की स्थिति तक बीमित फसल के उत्पादन लागत में हुए व्यय के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा एवं अगले 15 कार्य दिवस के अन्दर बीमा कम्पनी द्वारा किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्थानिक आपदा-ओला, भूस्खलन, जल भराव, बादल फटना, आकशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण ग्राम पंचायत में 25 प्रशित से अधिक क्षेत्र में फसलों की क्षति की सूचना प्राप्त होने पर जनपद के जिलाधिकारी द्वारा राजस्व, कृषि विभाग एवं बीमा कम्पनी की संयुक्त समिति गठित की जायेगी। समिति द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में रैण्डम सर्वेक्षण करते हुए फसल की क्षति के प्रतिशत का निर्धारण किया जायेगा जिसके आधार पर बीमा कम्पनी द्वारा किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

3. <u>तात्कालिक सहायता</u>:

प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की अनुमानित उपज में सामान्य उपज की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी की स्थिति में तात्कालिक सहायता बीमा कम्पनी द्वारा निम्न प्रकार के अनुसार निर्धारित समय सीमा में प्रदान की जायेगी:-

(i) जनपद के राजस्व व कृषि विभाग के क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण प्रभावित ग्राम पंचायत व फसल में क्षति की सूचना के आधार पर जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा प्रभावित ग्राम पंचायत व फसल में हुई क्षति की सूचना आपदा के 07 कार्य दिवस के अन्दर लिखित रूप से बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) जनपद स्तर पर राजस्व, कृषि तथा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि की गठित संयुक्त समिति द्वारा सर्वेक्षण का कार्य आपदा के 15 दिन की निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करते हुए संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति के आंकलन एवं भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा फसल की क्षति की सूचना प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस के अन्दर ग्राम पंचायत में प्रभावित फसल के बीमित कृषकों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) बीमा कम्पनी द्वारा तात्कालिक सहायता के रूप में भुगतान की गयी धनराशि को मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर फसल की आंकलित कुल देय क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जायेगा।

(iv) इस जोखिम के अन्तर्गत फसल की कटाई के 15 दिन पूर्व तक फसल की क्षति को संज्ञान में लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. <u>फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर क्षतिपूर्ति का आंकलन</u>:

सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ, ओला, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, जल भराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों यथा रोगों, कृमियों से हुई क्षति का आंकलन मौसम के अन्त में ग्राम पंचायत में अधिसूचित खडी फसल पर निर्धारित संख्या में सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आंकडों के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा।

5. वर्तमान समय में प्रदेश के कई जनपदों में बाढ अथवा अतिवृष्टि से खरीफ की फसलों को नुकसान की सूचना प्राप्त हो रही है। इसलिए आवश्यक है कि जनपद स्तर पर आपदा से प्रभावित क्षेत्रों की सूची बनाकर लिखित रूप से प्राथमिकता पर कार्यरत बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराया जाए ताकि संबंधित बीमा कम्पनी के द्वारा योजना के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में बीमित फसलों की क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए बीमित किसानों को योजना का लाभ समय से उपलब्ध कराया जा सके।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या:22/2020/1573(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. डा0 आशीष कुमार भूटानी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0, जीवन भवन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय प्रबंधक, एच0डी0एफ0सी0-एरगो जनरल इल्श्योरेंस कम्पनी लि0, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय प्रबंधक, इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0, 3-गोखले मार्ग, लखनऊ।
5. महाप्रबंधक, यूनीवर्सल सोमपो जनरल इन्श्योरेंस लि0, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से,
विद्या शंकर सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।